



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1682/JH/16/2023-ESDW

दिनांक: 22/5/2023

सचिव,
जनजातीय कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार,
सातवीं मंजिल, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
ई-मेल: secy-tribal@nic.in


विषय: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(1) के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के खंगार, खंखार, खंघार, खाधार, खंगार मुण्डा, मुण्डा के पर्यायवाची शब्दों के रूप में अनुसूचित जनजाति के सूचि में शामिल करने के संबंध में श्री एतवा मुण्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुण्डा समाज, सी-103, श्रीराम गार्डन्स, अपोजिट रिलायंस मार्ट, कांके रोड, रांची-834008 झारखण्ड का दिनांक 27.04.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर श्री एतवा मुण्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुण्डा समाज, सी-103, श्रीराम गार्डन्स, अपोजिट रिलायंस मार्ट, कांके रोड, रांची-834008 झारखण्ड से दिनांक 27.04.2023 का अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। यह मामला जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है।

2. आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में यथोचित कार्रवाई करते हुए की गई/जाने वाली कार्रवाई से अभ्यावेदक को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न यथोपरि.


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री एतवा मुण्डा,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
भारत मुण्डा समाज,
सी-103, श्रीराम गार्डन्स, अपोजिट रिलायंस मार्ट,
कांके रोड, रांची-834008
झारखण्ड
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।